कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

क्रमांक :– 744 दिनांक : – 11/10/19

" तथ्यात्मक प्रतिवेदन "

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जिला बारॉं के अन्तर्गत रोड पाठरी से भटगाँव सड़क कि.मी. 0/0 से 2/450 के निर्माण हेतु (1.50 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्)

उक्त सड़क के सुदृढीकरण की स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत एफ.2/(5) पी डब्ल्यू/ए एस/2006/डी–44 15.04.2006 को रूपये 40.50 लाख स्वीकृति जारी हुई थी जिसमें 02.45 किमी में निर्माण कार्य प्रस्तावित था। उक्त सड़क में 1500.00 मी. लम्बाई में 1.50 वन भूमि आने के कारण उसी स्तर पर कार्य रोककर वन संरक्षण अधिनियम के प्रस्ताव तैयार कर 23.02.07 से लखनऊ भिजवायें गये थे । लखनऊ से मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 8बी/राज./06/11/2008/एफसी/494 दिनांक 22.07.2010 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई । जिसकी बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार थी –

प्राप्त सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के साथ उप वन संरक्षक बारॉं द्वारा पत्र क्रमांक 1026 दिनांक 30.06.2011 को 21.30 लाख रूपये कम्पनसेट्री अफोर्टेशन हेतु डिमाण्ड की गई इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा पत्र क्रमाक 1183 दिनांक 13.12.11 द्वारा स्वीकृति की शतों सहित 21.30 लाख रूपये जमा करा दिये गये थे।

इसके उपरान्त उप वन संरक्षक बारॉ के पत्र क्रमांक 1546 दिनांक 23.02.12 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में वृद्धि होने के कारण 10844 रूपये की अन्तर राशि जमा कराने को कहा गया ।

इसके उपरान्त उप वन संरक्षक बारॉ के पत्र क्रमांक 6108 दिनांक 10.07.12 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में वृद्धि होने के कारण 1,70,131 रूपये की अन्तर राशि जमा कराने को कहा गया ।

इसके उपरान्त उप वन संरक्षक बारॉ के पत्र क्रमांक 913 दिनांक 23.01.14 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में वृद्धि होने के कारण 4,31,841 रूपये की अन्तर राशि जमा कराने को कहा गया ।

इसके उपरान्त उप वन संरक्षक बारॉ के पत्र क्रमांक 10996 दिनांक 11.09.15 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में वृद्धि होने के कारण 6,60,643 रूपये की अन्तर राशि जमा कराने को कहा गया । इसके अन्तर्गत शासन सचिव वन विभाग के पत्रांक प.4(26) वन/2008 दिनांक 24.11.2016(प्रति संलग्न) के द्वारा उपरोक्त सड़क हेतु वन विभाग में जमा कराये जाने हेतु राशि रूपये 6,60,643 की स्वीकृति जारी की गई।

1.50 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति 494 दिनांक 22.07.2010 के निर्देशानुसार प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अर्थात् 3 हेक्टर गैर वन भूमि आवंटित होनी चाहिए।

अतः 3.00 हेक्टर राजस्व भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर बारॉ को लिखा गया जो जिला कलेक्टर बारॉ के आदेश 2029 दिनांक 23.04.10 के द्वारा 1.50 हेक्टर भूमि ग्राम डाबर की आरजी एवं पत्र क्रमांक 5614–20 दिनांक 16.9.14 द्वारा 1.5 हेक्टर कुल 3.00 हेक्टर आवंटित कर दी गई।

क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक इंक 8बी/राज./06/11/2008/एफसी/976 दिनांक 07.11.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शतों की अनुपालना न प्राप्त होने के कारण स्वीकृति को रद्द कर दिया गया ।

(मुकेश गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड छबड़ा

Scanned by CamScanner